संख्या–1656/71–2–2020–सी0ओ0–14/20

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

2. निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ/डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान, नोएडा/राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।

3. कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ/उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

4. समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
उत्तर प्रदेश।

5 समस्त प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।

6 सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
समस्त प्राइवेट मेडिकल कालेज, उ0प्र0।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 **लखनऊः दिनांक 29 जून, 2020**

विषय– समस्त चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/मेडिकल कालेजों में माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को 'Medical Ethics' विषय पर सेमिनार आयोजित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

चिकित्सा संस्थाओं में रोगियों की टर्शियरी केयर स्तर पर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। बदलते सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश, मेडिकल प्रोफेशन के विशिष्ट उत्तरदायित्व तथा आकस्मिकता की स्थिति में रोगी के बहुमूल्य जीवन को बचाने के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सकों के सम्मुख नैतिक समस्यायें उत्पन्न होती हैं। कोविड–19 महामारी ने आमजनों एवं चिकित्सकों के समक्ष नयी प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत की हैं। वर्तमान परिदृश्य में रोगियों को 'Medical Ethics' के मूलभूत मूल्यों से विचलित हुए बिना उच्च विशिष्टतायुक्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किया जाना और अधिक प्रासंगिक हो गया है।

2– हमारी प्राचीन संस्कृति में चिकित्सक (वैद्य) ज्ञानी, विद्धान व गुणवान तथा प्राणियों को सुख देने वाला माना गया है और इसीलिए जीवन रक्षक होने के कारण परमात्मा जैसा आदर उनको मिलता रहा है। भौतिकवादी युग में तमाम मान्यताएं क्षीण हुई है। जो तीमारदार व रोगी, चिकित्सक में ईश्वर का चेहरा देखते थे, वर्तमान समय में उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आया है। जब रोगी या उनके पैरोकार पीड़ित होते हैं तो उनकी मनोदशा भी सामान्य नहीं रह जाती है। व्यथित मनोदशा में उनके वाणी संयम टूटते हैं, उन्हें अतिरिक्त सहानुभूति की आवश्यकता होती है ऐसी परिस्थिति में आशा व धीरज प्रभावी दवा की तरह कार्य करते हैं। चिकित्सक भी अति व्यस्तता व भीड़ के माहौल में अपने रोगियों आदि से आत्मीयता व प्रेम पूर्ण व्यवहार को अंजाम नहीं दे पाते। इसलिए आवश्यक है कि चिकित्सकों में अतिरिक्त सहानुभूति और संवेदनशीलता का व्यवहार विकसित हो।

3– हमारे इतिहास में बहुत से समाज सुधारक ऐसे हुए हैं, जो अपनी नीतियो, दया, करूणा मानवता के आधार पर लोगों को रोल मॉडल के रूप में स्वीकार हैं। ऐसे महापुरूषों की शिक्षाएं

इस समय ज्यादा प्रासंगिक हैं। इनकी चर्चा, इन पर संवाद तथा इनके द्वारा दी गई नैतिक शिक्षाओं का हम अगर अनुसरण करें तो चिकित्सक जरूरतमंदों से ज्यादा मित्रता और सहानुभूति के साथ चिकित्सा कर सकते है।

4— महात्मा गांधी जी का कथन है कि अच्छे साध्य के लिए अच्छा साधन भी होना चाहिए। उक्त कथन चिकित्सा क्षेत्र में सेवाभावना से कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा के अंतर्गत शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य की परिकल्पना की गयी है, जो गॉधी जी एवं अन्य चिन्तकों के विचारों के अनुरूप है।

5— मेडिकल एथिक्स की वृहद संकल्पना के अंतर्गत विविध आयाम हैं, जिनमें अपने पद एवं उत्तरदायित्वों का भली–भॉति निर्वहन, रोगियों को सेवाभाव से मितव्ययितापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, मेडिकल रिकार्ड का संरक्षण एवं उसकी गोपनीयता आदि सम्मिलित हैं। इस संबंध में आई0सी0एम0आर0, सी0डी0एस0सी0ओ0, एम0सी0आई0 की 'मेडिकल एथिक्स' एथिकल मेडिकल रिसर्च एवं AETCON (Attitude Ethics and Communication) सम्बन्धी विस्तृत गाइडलाइन्स हैं।

6— संकाय सदस्यों एवं रेजीडेन्ट डाक्टर (जे0आर0, एस0आर0) में क्लीनिकल कुशलता के साथ मेडिकल एथिक्स के विकास हेतु सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:–

(1) चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/मेडिकल कालेजों में मेडिकल एथिक्स सम्बन्धी सेमिनार आयोजित किया जाएगा। जिसमें वक्ताओं द्वारा चिकित्सा सेवाओं में एथिक्स पर अपने विचार व्यक्त किये जायेंगे।

(2) कार्यक्रम का माड्यूल, शिड्यूल तथा अन्य रूपरेखा एवं संचालन सम्बन्धित संस्थान के प्रमुख के मार्गदर्शन में एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष तथा इस कार्यक्रम के संस्था स्तर के संचालक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। संयोजक वही व्यक्ति नियुक्ति किया जायेगा जो अच्छी ख्याति का हो, मरीजों के साथ विनम्रतापूर्वक संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करता रहा हो।

(3) सेमिनार संवादात्मक प्रकृति का होगा, जिसमें एथिक्स के संबंध में विचार व्यक्त किया जायेगा। सेमिनार की अवधि 90 मिनट होगी, जिसमें प्रत्येक फैकल्टी मेम्बर एवं रेजीडेन्ट्स को 05 से 07 मिनट की अवधि में अपना विचार प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन (moderation) सुयोग्य संकाय सदस्य द्वारा किया जाएगा। सेमिनार में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जायेगा। पैरामेडिक्स के द्वारा भी श्रोता के रूप में सेमिनार में भाग लिया जा सकता है।

(4) सेमिनार में पावर प्वाइन्ट अथवा अन्य कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया जाएगा, परन्तु वक्ता अपने विचारों तथा अपने जीवन के अनुभव, विशेषकर चिकित्सालय के अनुभव, जिसमें एथिक्स का बिन्दु समाहित हो, साझा करेगा।

(5) प्रयोग के तौर पर प्रथम सेमिनार एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहूत किया जा चुका है। अतएव अन्य चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/मेडिकल कालेजों में प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को मेडिकल एथिक्स विषय पर सेमिनार आहूत किया जाए।

(6) फैकल्टी के प्रत्येक सदस्य की यथासंभव 06 माह में कम से कम 01 बार मेडिकल एथिक्स विषय पर आयोजित सेमिनार में वक्ता के रूप में भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

(7) पी0जी0/नान–पी0जी0 जूनियर रेजीडेंट एवं सीनियर रेजीडेंट की भी यथासंभव 06 माह में कम से कम एक बार सेमिनार में भागीदारी कराई जाए। सेमिनार में 50 से 100 सदस्यों की भागीदारी अवश्य सुनिश्चित की जाए।

(8) तमाम काम के बोझ के बावजूद श्रेष्ठ व्यवहार देने वाले चिकित्सक पुरस्कार योग्य हैं साथ ही चिकित्सा शिक्षकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय उनके व्यवहार व उनकी मेडिकल ऐथिक्स सेमिनार में भागीदारी का भी आंकलन किया जाए।

(9) रेजीडेन्ट को डिग्री लेने से पूर्व वक्ता के रूप में मेडिकल एथिक्स विषय पर आयोजित सेमिनार में भागीदारी सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही की जाए।

(10) कार्यक्रम की रूप–रेखा इस प्रकार तैयार की जाए कि प्रत्येक सेमिनार में संकाय सदस्यों एवं रेजीडेन्ट्स की भागीदारी वक्ता के रूप में चक्रानुक्रम पर हो सके। यदि फैकल्टी एवं रेजीडेन्ट्स को निर्धारित समय में वक्ता के रूप में अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त नहीं होता है तो 01 थीम पेपर प्रस्तुत किया जाए, जिसमें जीवन के वास्तविक अनुभवों के माध्यम से एथिक्स के संबंध में विचार प्रस्तुत किये जायें।

7– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त लिये गये निर्णय के क्रम में चिकित्सा संस्थाओं में मेडिकल एथिक्स विषय पर तत्काल सेमिनार आयोजित किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आयोजित सेमिनारों की प्रत्येक माह की रिपोर्ट महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा निर्धारित प्रारूप पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा को उपलब्ध करायी जाए। महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा प्रत्येक माह संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाएगी। सेमिनार आयोजन पर आने वाला व्यय संस्था/कालेज अपने उपलब्ध बजट से वहन करेंगे।

भवदीय

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1657 (1)/71–2–2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।